न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 243 /2014 (102/2023 नवीन प्रकरण सख्या) राजस्व प्रार्थनापत्र

01. श्री सुरेश आत्मज श्री काशीराम जाति ब्राह्मण उम्र बालिग निवासी– गराडिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. श्री पूरण आत्मज श्री काशीराम जाति ब्राह्मण उम्र बालिग निवासी– गराडिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

–– प्रार्थीगण

बनाम

01. श्रीराम आत्मज श्री रंग लाल जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी– गराडिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) ––तर्क
02. श्री गोपाल आत्मज श्री रंगलाल जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी– गराडिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. श्री लक्ष्मीनारायण आत्मज श्री काशीराम जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी– गराडिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
05. वरूणशेखर आत्मज श्री नन्द कुमार जोशी आयु वयस्क निवासी– बी–258 आर.के.कॉलोनी, भीलवाड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज0)

–– विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा 151 जा0दी0

उपस्थित :–

1. श्री बन्टू सिह चुण्डावत –अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री मुकेश कुमार जैन ––अधिवक्ता वि.सं. 5
3. एकपक्षीय – –विपक्षी संख्या 2 से 4

:: आदेश :: दिनांक– 12/11/2024

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा– 151 जा0दी0 का प्रार्थनापत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय, माण्डल जिला भीलवाड़ा के प्रकरण संख्या 213/2002 राजस्व वाद गोपाल लाल ब्राह्मण बनाम श्री काशीराम व अन्य निर्णय दिनांक 04/07/2002 को अपास्त कराये जाने हेतु इस आशय का पेश किया कि विपक्षी संख्या 02 गोपाल द्वारा प्रार्थीगण के पिता काशीराम को प्रतिवादी संख्या 01 वाद मे बनाया गया, प्रकरण के सम्मन काशीराम जी को न्यायालय द्वारा कभी जारी किया गया हो तो उसकी जानकारी नही है एंव न ही सम्मन प्रार्थीगण के पिता को प्राप्त हुआ है। वादी ने तामिल कुलिन्दा से उक्त सम्मन परिवाद के किसी सदस्य के नाम की गलत तस्दीक बनाकर न्यायालय को मुगालते मे रखकर प्रार्थीगण के पिता के विरूद्व उक्त प्रकरण मे एकपक्षीय आदेश दिनांक 16/06/2002 को करवा लिया व विपक्षी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत वादपत्र मे ग्राम गराडिया के आराजियात कुल किता 11 रकबा 31 बीघा 09 बिस्वा भूमि के विभाजन व घोषणा बाबत वाद पेश किया जिसमे अभिलिखित किया कि रंगलाल के निधन के बाद उनके तीनो पुत्रो ने आपस मे विभाजन कर लिया, जिसका विवरण चरण सख्या 03 मे दिया गया है, इस अनुसार दावा डिक्री किया जावे जबकि कुलिया शामलाती थी व आज भी शामलाती है। प्रार्थीगण के चाचा श्रीराम ने भी अपने हिस्से की जमीन प्रार्थीगण के पिता काशीराम को विक्रय कर दी थी, जिसकी लिखापढी स्टाम्प पर की गयी, उक्त तथ्य को जानते हुए गोपाल ने गलत दावा प्रस्तुत कर परिवारजन को पता लगे बिना उक्त दावे को एकपक्षीय करा निर्णय करा लिया व इसके पश्चात संशोधित डिक्री भी करा ली । प्रार्थीगण व उनके पिता को उक्त विभाजन की जानकारी कभी नही थी, किन्तु आज से कुछ दिन पूर्व गोपाल ने एक फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाया कि इसने मेरी जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर लिया , जिस पर प्रार्थी ने कहा कि जमीन शामलाती है तो गोपाल

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

मे कहा कि विभाजन हो गया, फिर प्रार्थीगण ने पटवारी से सम्पर्क कर नकल लेने पर जानकारी हुई व जानकारी की दिनांक से अन्दर अवधि एक माह मे यह आवेदन प्रस्तुत है व अंत मे प्रार्थना दर्ज करते हुए प्रकरण संख्या 213/2002 राजस्व वाद निर्णय दिनांक 19/12/2002 एवं संशोधित निर्णय व डिकी के प्रकरण संख्या 17/2003 निर्णय दिनांक 08/09/2005 दोनो ही एकपक्षीय निर्णय व डिकी को निरस्त कर उक्त प्रकरण को पुनः दर्ज कर प्रार्थीगण को सुनवायी का अवसर दिया जाकर नियमानुसार विभाजन किया जाने की आज्ञा प्रदान करावें।

इस पर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये व मामले मे विपक्षी संख्या 05 वरूण शेखर द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 व धारा 151 जा0दी0 का इस आशय का पेश किया कि आवेदनकर्ता ने वादग्रस्त आराजियात मे से आराजी संख्या 150 रकबा 04 बीघा 19 बिस्वा, आराजी नम्बर 162/2 रकाब 02 बीघा 13 बिस्वा, आराजी नम्बर 966/163 रकबा 16 बिस्वा कुल किता 03 रकबा 08 बीघा 09 बिस्वा को खातेदार श्रीराम पुत्र श्री रंग लाल ब्राह्मण से दिनांक 5/08/2011 को निष्पादित विकयपत्र जो दिनांक 08/08/2011 को पंजीकृत हुआ, के जरिय कय कर अपने आधिपत्य मे प्राप्त किया, जिस पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है व आवेदनकर्ता द्वारा उक्त आराजी का राजस्व अभिलेख मे नाम अंकित कराने हेतु तहसीलदार साहब, माण्डल को दिनांक 20/09/211 को प्रार्थनापत्र पेश किया व जिला कलक्टर महोदय, भीलवाड़ा के यहां प्रार्थनापत्र पेश किया, जिसकी कार्यवाही मे तहसीलदार माण्डल द्वारा जारी एक पत्र दिनांक 10/01/2012 को आवेदनकर्ता को दिनांक 15/01/2012 को प्राप्त हुआ, जिसमे यह अंकित किया कि आवेदनकर्ता द्वारा कयशुदा आराजी के संबध मे सिविल न्यायालय, माण्डल के समक्ष प्रकरण विचारण होकर उसमे स्थगन आदेश पारित किया है, सिविल न्यायाधीश महोदय, माण्डल मे एक प्रकरण सुरेश ब्राह्मण, पूरण ब्राह्मण एवं लक्ष्मीनारायण ब्राह्मण ने एक वादपत्र विकयपत्र अनुबंध की विनिर्दिष्ट पालना करवाये जाने एंव स्थायी निषेधाज्ञा का श्रीराम, गोपाल राज0 राज्य जरिये तहसीलदार साहब एवं उपपंजीयक महोदय, माण्डल के विरूद्व पेश किया, जिसके प्रकरण संख्या 96/2011 ई0दी0 होकर अनवान लक्ष्मीनारायण ब्राह्मण वगैरहा बनाम श्रीराम ब्राह्मण वगैरहा है, उस प्रकरण मे आवेदनकर्ता को न्यायालय द्वारा आवश्यक पक्षकार बनाया गया, उकत प्रकरण का निर्णय दिनाक 29/07/2017 को होकर सुरेश, पूरण, लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री काशीराम ब्राह्मण का वादपत्र न्यायालय द्वारा खारीज किया गया। सुरेश , पूरण व लक्ष्मीनारायण ब्राह्मण ने एक वादपत्र दिनांक 04/08/2014 को श्रीराम ब्राह्मण व मुझ आवेदनकर्ता वरूण शेखर , राज0 राज्य जरिये जिलाधीश महोदय, भीलवाड़ा एवं तहसीलदार व उपपंजीयक महोदय, माडल के विरूद्व जिला न्यायाधीश महोदय, भीलवाड़ा मे विकयपत्र निष्पादित दिनांक 05/08/2011 पंजीयन दिनांक 08/08/2011 को निरस्त करवाये जाने हेतु प्रस्तुत किया ,जिसके प्रकरण संख्या 233/2014 ई0दी0 होकर अंतरित होकर अपर जिला न्यायाधीश महोदय, संख्या–01 भीलवाड़ा जिसके प्रकरण संख्या 72/2014 ई0दी0 होकर दिनाक 25/10/2017 को खारीज हुआ , इसके पश्चात आवेदनकर्ता ने नामान्तराकरण करवाने हेतु तहसीलदार साहब, माण्डल के यहां आवेदन किया, जिसमे दिनाक 21/01/2019 को यह बताया कि उक्त आराजियात बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के प्रकरण संख्या 242/2014 मे दिनांक 14/02/2019 तक स्थगन है.. इस प्रकार प्रार्थीगण को प्रार्थनापत्र प्रस्तुती से पूर्व ही आवेदनकर्ता द्वारा भूमि विकय करने की जानकारी होने के बावजूद भी तथ्य छुपाकर आवेदनकर्ता को पक्षकार बनाये बिना उक्त प्रार्थनापत्र पेश किया है। मामले मे मुझ आवेदनकर्ता को बतौर विपक्षी पक्षकार संयोजित किया जावे।

इस पर आवेदनकर्ता का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर वरूण शेखर जोशी को बतौर विपक्षी संख्या 05 संयोजित किया गया। मामले मे विपक्षी संख्या 02 लगायत 04 बाद तामिल उपस्थित नही होने से उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी व विपक्षी संख्या 01 श्रीराम की प्रार्थीगण द्वारा जानबूझकर तामिल पेश कर तामिल नही करवायी गयी व विपक्षी संख्या 05 द्वारा विपक्षी संख्या 01 श्रीराम द्वारा उनका सम्पूर्ण हक हिस्सा विपक्षी संख्या 05 को विकय कर देने व उसका कोई हक अधिकार नही होने व विपक्षी संख्या 01 के हक हिस्से की भूमि बाबत विपक्षी संख्या 05 के पक्ष मे निष्पादित विकयपत्र को अपर जिला न्यायाधीश महोदय, संख्या–01 भीलवाड़ा द्वारा वैध मानते हुए प्रार्थीगण के वादपत्र को खारीज किया जाने से विपक्षी संख्या 01 को तर्क करने हेतु निवेदन किया गया, जिस पर विपक्षी संख्या 01 का नाम तर्क किया गया।

विपक्षी संख्या 05 द्वारा मामले मे रजिस्टर्ड विकयपत्र की प्रति, प्रार्थीगण द्वारा सिविल न्यायाधीश महोदय, माण्डल जिला भीलवाड़ा मे प्रस्तुत वादपत्र व निर्णय की प्रतिया व जिला न्यायाधीश महोदय, भीलवाड़ा मे विकयपत्र निरस्तीकरण के प्रकरण की नकले, जमाबंदी की नकले व प्रकरण संख्या 213/2002 राजस्व वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा प्रार्थीगण के पिता को जारी सम्मन नोटिस की प्रति पेश की गयी, जिसे शामिल पत्रावली की गयी व साथ ही न्यायिक दृष्टान्त भी पेश किये गये।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर करेड़

मामले मे उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी व प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थनापत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए एकपक्षीय निर्णय व डिकी को अपास्त करने का निवेदन किया व विपक्षी संख्या 05 के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थीगण द्वारा तथ्य छुपाकर व क्लीन हैण्ड़ से न्यायालय मे नही आने व प्रार्थीगण के पिता को प्रोपर तामिल होने व सिविल न्यायालय व जिला न्यायालय द्वारा उनके वादपत्र खारीज करने व विपक्षी संख्या 05 सद्भाविक केता होकर विधिवत विभाजन होने के वावजूद मात्र परेशान करने के उद्वेश्य से प्रार्थनापत्र पेश करने से प्रार्थनापत्र को खारीज करने का निवेदन किया गया।

मैने अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी व पत्रावली का अवलोकन किया गया , अवलोकन करने से प्रथम दृष्टया जाहिर आया कि गोपाल लाल ब्राह्मण द्वारा प्रार्थीगण के पिता काशीराम व अन्य के विरूद्व जो वादपत्र पेश किया गया, जिसके सम्मन नोटिस प्रार्थीगण को प्रोपर तामिल हुए है, जो पत्रावली मे सम्मन नोटिस की तामिल से साबित होता है व साथ ही उक्त निर्णय व डिकी दिनांक 04/07/2002 को हुआ व संशोधित निर्णय व डिकी दिनांक 08/09/2005 को हो गयी, जिसकी पालना मे खातेदारान के नाम पर भूमि अलग अलग हिस्से मे दर्ज हो गयी व खातेदार श्रीराम द्वारा अपने हक हिस्से की भूमि विपक्षी संख्या 05 को दिनांक 08/08/2011 को रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के जरिये विक्रय की गयी, जिसमे भी बाद विभाजन श्रीराम के हक हिस्से मे आयी भूमि का विक्रयपत्र पंजीयन हुआ व वर्ष 2011 मे विपक्षी संख्या 05 द्वारा भूमि क्रय की गयी, तत्समय ही प्रार्थीगण द्वारा सिविल न्यायाधीश महोदय, माण्डल जिला भीलवाड़ा मे प्रकरण संख्या 96/2011 ई0दी0 प्रस्तुत किया गया, उक्त प्रकरण की जानकारी विपक्षी संख्या 05 को दिंनाक 15/01/2012 को होने पर सिविल न्यायालय मे पक्षकार संयोजित हुआ ,जिस समय भी विपक्षी संख्या 05 द्वारा श्रीराम द्वारा विपक्षी संख्या 05 को बाद विभाजन दर्ज आराजी नम्बर क्रय करना बताया गया, जिस समय ही प्रार्थीगण को उक्त विभाजन की जानकारी हो गयी थी, इसके पश्चात प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 04/08/2014 को ही विपक्षी संख्या 05 के पक्ष मे निष्पादित विक्रयपत्र को निरस्तीकरण हेतु जिला न्यायाधीश महोदय, भीलवाड़ा मे वादपत्र पेश किया गया, तत्समय भी उसे जानकारी थी, फिर भी न्यायालय मे मिथ्या तथ्य अंकित कर दिनांक 01/04/2014 को पटवार हल्का से मिलने पर विभाजन की जानकारी होने के तथ्य अंकित कर उक्त प्रार्थनापत्र पेश किया गया व साथ ही निर्णय व डिकी होने के करीब 12 वर्ष बाद उक्त प्रार्थनापत्र पेश किया गया, जिसमे देरी का कोई माकुल एवं युक्तियुक्त कारण नही है व सिविल न्यायालय मे विचाराधीन प्रकरणो के अनुसार वर्ष 2012 मे ही प्रार्थीगण को उक्त विभाजन की जानकारी हो चुकी थी व प्रार्थीगण के पिता काशीराम को भी प्रकरण के सम्मन नोटिस प्रोपर तामिल हुई है। प्रार्थीगण द्वारा केवल मात्र न्यायालय मे तथ्य छुपाकर क्लीन हैण्ड़ से नही आये व असत्य तथ्यो पर प्रार्थनापत्र पेश किया है। विपक्षी संख्या 05 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का भी अवलोकन किया गया, जो प्रकरण मे हुबहु चस्पा होते हे। प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र सारहीन होने व न्यायालय समय जाया करने की नियत से प्रस्तुत होने से खारीज किया जाना उचित पाता हूँ ।

:: आदेश ::

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा 151 जा0दी0 सारहीन तथ्य छुपाकर असत्य तौर पर प्रस्तुत करने व मियाद बाधित होने से सव्यय खारीज किया जाता है ।

यह निर्णय आज दिनांक 12.11.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,करेड़ा
जिला भीलवाड़ा (राज0)

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर करेड़ा